



2026: AHC: 24723

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **4517** वर्ष **2026**

देवेन्द्र कुमार एवं अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-डिप्टी कलेक्टर/उप-जिलाधिकारी, तहसील-निज़ामाबाद, जिला आजमगढ़ को वाद संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2290 वर्ष 2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202415060202290 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार सख्ती से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, लेकिन बिना किसी अनावश्यक स्थगन के जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"